

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
18-27 years (Relaxable to different categories of candidates as per DOPT orders in force or as amended from time to time). Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 <sup>th</sup> Class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 minutes @ 80 word per minute Transcription: 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on computer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
Direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee Exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment.
(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b> (1) Under Secretary (E.III) - Chairperson; (2) Assistant Director (Storage and Research) - Member; and (3) Section Officer (SRA/E.III) - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/01/2022-SRA (Part-III)]

SUDESH KUMAR, Under Secy.

**जनजातीय कार्य मंत्रालय**  
(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2023

**सा.का.नि. 119.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. प्रारंभिक संविधान.**- (1) मौजूदा भर्ती नियमों, अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त और गृह मंत्रालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियमों के तहत भर्ती किए गए पदधारी, 1984, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उप निदेशक (गृह मंत्रालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम, 1985 और सहायक निदेशक, गृह मंत्रालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम, 1985 और इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले नियमित आधार पर निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक के पदों को धारण करना, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पदधारियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि आदि के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

3. आवेदन.- ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट होंगे।

5. भर्ती की विधि, आयु-सीमा और योग्यताएं, आदि- भर्ती की विधि, आयु-सीमा, योग्यताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट होंगे।

6. अयोग्यता.- कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून (पर्सन लॉ) के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

7. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

8. व्यावृत्ति - इन नियमों में कोई भी बात केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	4* (2023) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता हो सकती है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रु. 78800-209200/-)।	चयन पद	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत लोगों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

<p>भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।</p>	<p>पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।</p>
(10)	(11)
<p>(i) पच्चीस प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित); और</p> <p>(ii) पचहत्तर प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)।</p>	<p>पदोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67700-208700/-) में पांच साल की नियमित सेवा के साथ उप-निदेशक और विभाग द्वारा जनजातियों से संबंधित अधिनियमों और नियमों पर दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>ध्यान दें: जहां कनिष्ठों जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से कम न हो या दो साल, जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):</p> <p>केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी, -</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाले; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु.67700-208700/-) या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच साल की सेवा; और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो अर्थात:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या मानव विज्ञान या सामाजिक मानव विज्ञान या अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) में स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर डिग्री)।</p> <p>(ii) डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने सहित सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान करने का तीन साल का अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 2:</b> केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सहित सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए
(12)	(13)
[समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सदस्य; (3) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-सदस्य।	पदोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप-निदेशक	2* (2023) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के तहत	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (67700-208700/- रु.)	चयनित पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(10)	(11)
सौ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।	<p>पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (रु. 56100-177500/-) में पांच साल की नियमित सेवा के साथ सहायक निदेशक और विभाग द्वारा जनजातियों से संबंधित अधिनियमों और नियमों पर दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>ध्यानार्थ: जहां कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक या दो साल से अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा, जो भी कम हो, से कम न हों और अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी, -</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष स्तर 10 (रु. 56100-177500/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई श्रेणी में पांच साल की सेवा के साथ; और (ख) जिसके पास निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो अर्थात्:-</p>

	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या मानव विज्ञान या सामाजिक मानव विज्ञान या अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) में स्नात्कोत्तर (मास्टर डिग्री)।</p> <p>(ii) डेटा के विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने सहित सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान करने का दो साल का अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 2:</b> केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सहित सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-</p> <p>(1) संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग -सदस्य;</p> <p>(3) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक	5*(2023) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के तहत	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपये)।	चयनित पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष

(10)	(11)
<p>(i) पदोन्नति द्वारा साठ प्रतिशत, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) और (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा चालीस प्रतिशत (अल्पकालिक अनुबंध सहित)।</p>	<p>पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 (रु. 47600-151100/-) में चार साल की नियमित सेवा के साथ अनुसंधान अधिकारी और विभाग द्वारा जनजातियों से संबंधित अधिनियमों और नियमों पर दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर फीडर पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> जहां उन कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी</p>

पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल से अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा, जो भी कम हो, से कम न हों और अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) :

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी, -

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष स्तर 9 (रु.53,100-1,67,800/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई श्रेणी में दो साल की सेवा के साथ; या

(iii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष स्तर 8 (रु. 47,600-1,51,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में चार साल की सेवा के साथ; और

(ख) जिसके पास निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो, अर्थात्: -

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या मानव विज्ञान या सामाजिक मानव विज्ञान या अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) में स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्री)।

(ii) डेटा के विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने सहित सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान करने का एक वर्ष का अनुभव।

**नोट 3:** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

**नोट 4:** केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**नोट 5:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय -सदस्य; (3) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-सदस्य।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-अध्यक्ष; (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की देखरेख करने वाले निदेशक या उप सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सदस्य; (3) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन या स्थापना), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग- सदस्य।	पदोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 20025/59/2022-एनसीएसटी]

अरविंद मुद्गल, अवर सचिव

**MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS**  
**(National Commission for Scheduled Tribes)**

New Delhi, the 12th September, 2023

**G.S.R.119.**—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director, Deputy Director and Assistant Director in the National Commission for Scheduled Tribes, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the National Commission of Scheduled Tribes, Director, Deputy Director and Assistant Director(Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial Constitution.**- (1) The incumbents recruited under the existing recruitment rules, namely, the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Ministry of Home Affairs (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1984, Deputy Director for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Recruitment Rules, 1985 and Assistant Director, Ministry of Home Affairs, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Recruitment Rules, 1985 and holding the posts of Director, Deputy Director and Assistant Director on regular basis, immediately before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of incumbents referred to in sub-rule(1) immediately before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation etc.

3. **Application.**- These rules shall apply to the posts specified in Column(1)of the Schedule annexed to these rules

4. **Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. **Disqualification.**- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non - selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director.	4* (2023) *subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial	Level 12 (Rs 78800-209200/-) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
<p>(i) twenty five per cent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); and</p> <p>(ii) seventy five per cent by deputation (including short-term contract).</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Deputy Director with five years regular service in level 11 (Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix and having successfully completed the training of two weeks duration on acts and rules related to tribals conducted by the Department.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory or statutory or autonomous organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions, –</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11(Rs.67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and experience as under namely:-</p> <p>(i) Masters Degree in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics) from a recognised University or institute.</p> <p>(ii) three years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of reports.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation (including short- term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>

<b>If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission- Chairman ; (2) Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Member-; (3) Joint Secretary , National Commission for Scheduled Tribes- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making promotion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director.	2* (2023) *subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial	Level 11 (Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Hundred per cent by promotion failing which by deputation (including short- term contract).	<p><b>Promotion:</b> Assistant Director with five years regular service in level 10 (Rs.56100-177500/-)in the pay matrix, and having successfully completed the training of two weeks duration on acts and rules related to tribals conducted by the Department.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory or statutory or autonomous organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and experience as under, namely:- (i) Masters Degree in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics) from a recognised University or Institute. (ii) two years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of reports.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

	<p><b>Note 2:</b> The period of deputation (including short- term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>
--	---

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion ) consisting of :-</p> <p>(1) Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs -Chairman;</p> <p>(2) Joint Secretary, National Commission for Scheduled Tribes -Member;</p> <p>(3) Director or Deputy Secretary(Admn.), National Commission for Scheduled Tribes-Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director.	5*(2023) *subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.

(10)	(11)
<p>(i) sixty per cent.by promotion failing which by deputation (including short-term contract) and</p> <p>(ii) forty per cent by deputation (including short- term contract).</p>	<p><b>Promotion :</b></p> <p>Research Officer with four years regular service in level 8(Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix and having successfully completed the training of two weeks duration on acts and rules related to tribals conducted by the Department.</p> <p><b>Note 1:</b> The eligibility service shall be three years for persons holding the feeder post on regular basis on the date of notification of the revised rules.</p> <p><b>Note 2 :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory or statutory or autonomous organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions, –</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 9 (Rs.53,100-1,67,800/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p style="padding-left: 40px;">(iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto</p>

	<p>on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience, namely:-</p> <p>(i) Masters Degree in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics) from a recognised University or institute.</p> <p>(ii) One year experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of reports.</p> <p><b>Note 3:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 4:</b> The period of deputation (including short- term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 5:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>
--	--

	(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion ) consisting of :-	Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation ) consisting of :-	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making promotion.
(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission- Chairman;	(1) Joint Secretary, National Commission for Scheduled Tribes -Chairman;	
(2) Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs -Member;	(2) Director or Deputy Secretary looking after National Commission for Scheduled Tribes, Ministry of Tribal Affairs- Member;	
(3) Joint Secretary, National Commission for Scheduled Tribes - Member.	(3) Director or Deputy Secretary (Admn or Estt.), National Commission for Scheduled Tribes- Member.	

[F. No.20025/59/2022-NCST ]

ARVIND MUDGAL, Under Secy.